भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5397

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता

†5397. **डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेघालय में शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधनों में वृद्धि, जोखिम-सूचना सहित मास्टर प्लानिंग और भवन उप-नियमों का आधुनिकीकरण, किफायती आवास और इन-सीटू स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, शहरों में आवागमन की सुगमता को बढ़ावा देना और शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा शहरी नियोजन उपकरणों का उपयोग करके सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण करना जैसे घटकों के अंतर्गत पूंजी निवेश 2023-24, भाग III (केवल उत्तर-पूर्वी और मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों के लिए) के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) मेघालय को उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई और जारी की गई निधि का घटकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेघालय में उक्त योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की गई और शुरू की गई घटकवार परियोजनाएं क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग)**:** भारत सरकार ने विकास के प्रमुख संचालक के रूप में शहरी आयोजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई)-भाग-।।। (शहरी आयोजना सुधार) 2023-24 का कार्यान्वयन किया है। मेघालय राज्य ने एसएसएएससीआई-भाग-।।। 2023-24 के तहत निम्नलिखित शहरी सुधार उपाय प्रस्तुत किए**:**

'शहरी आयोजना इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधनों की वृद्धि**'** घटक के तहत राज्य द्वारा 4 योजनाकारों की सेवाएं ली गई हैं।

'रिस्क इन्फोर्म्ड मास्टर प्लान**'** घटक के तहत असुरक्षित क्षेत्रों/आपदा संभावित क्षेत्रों का निर्धारण करके शिलांग और तूरा शहरों के रिस्क इन्फोर्म्ड मास्टर प्लान के मसौदे तैयार किए गए। स्लोप ग्रेडिएंट के आधार पर जिन क्षेत्रों में या तो निर्माण की अनुमति है या निर्माण प्रतिबंधित है, उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए ड्राफ्ट बिल्डिंग बाइ-लॉज (बीबीएल) और ड्राफ्ट मास्टर प्लान के दिशानिर्देश का निरूपण भी किया गया।

'बिल्डिंग बाइ-लॉज का आधुनिकीकरण**'** के सुधार घटक के तहत पर्वतीय एवं घाटी क्षेत्रों के लिए पृथक ड्राफ्ट बीबीएल तैयार किए गए।

'ट्रांजिट सुविधा को बढ़ावा**'** घटक के तहत शिलांग और तूरा शहरों के लिए कॉमन मोबिलिटी प्लान तैयार करने के लिए एक एजेंसी की सेवाएं ली गईं। सार्वजनिक पार्किंग, शून्य उत्सर्जन क्षेत्र/गैर मोटर परिवहन (एनएमटी) क्षेत्र, पैदल पथ तैयार करने के प्रावधानों के साथ ड्राफ्ट मोबिलिटी नीति तैयार की गई। शिलांग मास्टर प्लान में एक पैदल पथ की पहचान की गई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, एसएसएएससीआई 2023-24- भाग-।।। (शहरी आयोजना सुधार) के तहत मेघालय राज्य को 98.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

****